आधार से संबंधित अनिश्चितताएं दूर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

27 सितम्बर, 2018

द हिन्दू

''सर्वोच्च न्यायालय ने आधार योजना के कार्यान्वयन और इसके लाभों के बीच एक व्यावहारिक मध्यम मार्ग खोज लिया है।''

आधार योजना एक गंभीर कानूनी चुनौती बनी हुई है। जब से नौ न्यायाधीशों की बेंच ने पिछले साल सर्वसम्मति से इस पर अपना फैसला दिया था कि गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है, तब से यह बहस शुरू हो गयी थी कि यह अनूठी पहचान कार्यक्रम न्यायिक जांच के समक्ष कमजोर है।

केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी आधार योजना को संतुलित बताते हुये इसकी संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, लेकिन बैंक खातों, मोबाइल कनेक्शन और स्कूल में बच्चों के प्रवेश आदि के लिये इसकी अनिवार्यता संबंधी प्रावधान निरस्त कर दिया। इसका दायरा सीमित कर दिया।

लेकिन केंद्र सरकार अब आधार एक्ट में संशोधन करने की तैयारी में है। साथ ही मोबाइल कंपनियों और बैंकों को इस संशोधन के बाद आधार नंबर लेने की इजाजत दी जा सकती है, ताकि ग्राहकों की पहचान और काम तेजी से हो सके।

सरकार ने सफलतापूर्वक बहस करके आधार पर उठ रहे सवालों को रोक दिया है। सरकार ने कहा कि यह अनिवार्य रूप से एक परिवर्तनीय योजना है जिसका लक्ष्य प्राथमिक रूप से गरीबों और सीमांत लोगों को लाभ और सब्सिडी पहुंचाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यक्रम के मूल उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया है अर्थात इसका उद्देश्य सब्सिडी योजनाओं में व्याप्त कमियों का निपटान करना और कल्याणकारी लाभों के बेहतर लक्ष्यीकरण को सुनिश्चित करना है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि आधार संवैधानिक रूप से वैध है।

हालांकि पीठ ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने, मोबाइल फोन कनेक्शन तथा स्कूल में दाखिले के लिये विशिष्ट पहचान संख्या की अनिवार्यता खत्म कर दी है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में आयकर रिटर्न तथा स्थायी खाता संख्या (पैन) से आधार जोड़ने के प्रावधान को बरकरार रखा है।

बहुमत की राय ने कल्याणकारी लाभ, सब्सिडी और भारत के समेकित निधि से खर्च किए गए पैसे से संबंधित पहलुओं के लिए योजना के आयात को सीमित करने की मांग की है।

इस प्रकार, मोबाइल नंबरों और बैंक खातों को आधार संख्याओं से जोड़ने के लिए अनिवार्य सर्कुलर और नियम अनिवार्य घोषित किए गए हैं। बच्चों को नामांकन के लिए आधार संख्या अनिवार्य बनाने से स्कूलों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कुछ अन्य प्रावधानों को भी पढ़ा या स्पष्ट किया गया है।

''आधार कानून की धारा 57 (जिसे उच्चतम न्यायालय ने इसे अवैध करार दिया) कहता है कि विशेष अधिकार के तहत अन्य इकाइयों को आधार के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।

इस 'लोकतांत्रिक संस्था के विघटन' के परिणामस्वरूप, उन्होंने आधार अधिनियम को असंवैधानिक रखा। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों के विरोध में विभिन्न कारणों से आधार अनिवार्य बनाने के आदेशों की श्रृंखला पारित करने में सरकार से नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक के प्रयोग को आलोचकों ने त्रुटिपूर्ण बताया था। इसे लेकर मुख्य रूप से दो तर्क दिए जा रहे थे। इसमें प्रथम यह कि पासवर्ड सुरक्षित है, जबकि बायोमेट्रिक नहीं, क्योंकि डिजिटलीकरण के दौरान में फिंगर प्रिंट को चोरी किया जा सकता है।

इसे लेकर उन्होंने जर्मन रक्षा मंत्री की हाई रेज्यूलेशन फोटो से हैकर ने फिंगर प्रिंट चोरी कर लिया था। दूसरा तर्क दिया कि यदि किसी मजबूरी में आपकी बायोमेट्रिक पहचान उजागर हो जाती है तो इसे बदला नहीं जा सकता है, जबकि पासवर्ड को बदला जा सकता है।

आधार संख्या को प्रकाशित करना या फिर साझा करना आधार एक्ट के तहत अवैध है। हालांकि आधार संख्या के साझा किए जाने से कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं होती है। यह ठीक उसी तरह से है जिस तरह से मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या फिर पैन नंबर है, जिसके जरिए उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी का पता नहीं लगाया जा सकता है।

उन्होंने फैसला दिया कि किसी भी सामाजिक सुरक्षा अधिकार से उत्पन्न होने वाले लाभों से इनकार करना हमारी संवैधानिक योजना के तहत मानव गरिमा का उल्लंघन है।

GS World टीम...

आधार कार्ड

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के महत्त्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आधार आम आदमी की पहचान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार की संवैधानिकता कुछ बदलावों के साथ बरकरार रहेगी।
- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में जस्टिस एके सीकरी, एएम खानविलर, डीवाई चंद्रचूण और अशोक भूषण ने आधार की अनिवार्यता पर बुधवार को अहम फैसला सुनाया है।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

- सीबीएसई, नीट (NEET) में आधार जरूरी नहीं है। स्कूल में एडमिशन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी नहीं है।
- आधार को मोबाइल से लिंक करना आवश्यक नहीं हैं। बैंक खाते से आधार को लिंक करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
- आधार से पैन कार्ड को जोड़ने का फैसला बरकरार रहेगा।
- ऑथेंटिकेशन डाटा सिर्फ 6 महीने तक ही रखा जा सकता है। कम से कम डेटा होना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते वक्त कहा कि आधार से समाज के बिना पढ़े-लिखे लोगों को पहचान मिली है।
- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आधार आम आदमी की पहचान है।
- पैन कार्ड के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी आधार नंबर आवश्यक बना रहेगा।
- आधार अन्य आईडी प्रमाणों से भी अलग है, क्योंकि इसे डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता।
- 99.76 प्रतिशत लोगों को सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। समाज को इससे फायदा हो रहा है तथा दबे कुचले तबके को इससे फायदा मिल रहा है।
- सुरक्षा मामलों में एजेंसियां आधार की मांग कर सकती हैं। सुरक्षा लहजे से आधार की मांग करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए मान्य होगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से किन-किन मदों हेतु आधार की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है?-
   1. बैंक खाता
   2. मोबाइल, कनेक्शन
   3. आयकर रिर्टन
   4. स्कूल में प्रवेश
   5. सरकारी योजना का लाभ

   नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चयन करें-

   (a) 1, 2 और 4 (b) 1, 2, 3 और 4
   (c) 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

2. आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. आधार का पासवर्ड असुरक्षित है।
   2. बायोमेट्रिक का प्रयोग सुरक्षित है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. आधार संख्या को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।
   2. आधार संख्या को साझा किया जा सकता है।
   3. विशेष अधिकार के तहत अन्य इकाइयों को आधार के उपयोग की अनुमति की जा सकती है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

   (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

1. **In which of the following cases Aadhar is not required?**
   1. Bank Account
   2. Mobile Connection
   3. Income Tax Return
   4. Admission into schools
   5. Benefits of government schemes

   Choose the correct answer using the code given below-

   (a) 1, 2 and 4 (b) 1, 2, 3 and 4
   (c) 2 and 4 (d) All of the above

2. **Consider the following statements regarding Aadhar-**
   1. The password of Aadhar is unsafe.
   2. The use of biometrics is safe

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

3. **Consider the following statements-**
   1. Aadhar number cannot be published.
   2. Aadhar number can be shared
   3. Other bodies can be given the assent to use the Aadhar through special rights.

   Which of the above statements is/are incorrect?

   (a) 1 and 2 (b) 1 and 3
   (c) 2 and 3 (d) All of the above

नोट :

26 सितम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(b, 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. "गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है किंतु लोगों के सामुहिक सुरक्षा अधिकार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।" उपरोक्त कथन के आलोक में आधार योजना पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द)

   "Privacy is a fundamental right but the collective right to protect also cannot be ignored." In the reference to this statement, highlight Aadhar Scheme.

   (250 Words)